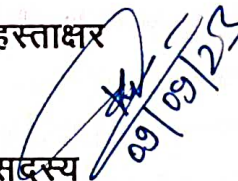


नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक- 01
ORDER – SHEET (contd.)

date of order or Proceeding Necessar	Order or Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties Pleader where Necessar
09.09.2023	यह प्रकरण आज आयोजित नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को उभयपक्षों की सहमति से राजीनामा हेतु नेशनल लोक अदालत में रखा गया है। राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित नहीं। प्रकरण में आज आरोपी/गण.....<u>सुरेश दास उर्फ मिन्दू</u>..... एवं प्रकरण के प्रार्थी/आहतगण.....<u>प्रदीप फूडान</u>..... आज स्वतः न्यायालय में अपने अधिवक्ता श्री <u>श्रीलाल अरोड़ा</u> सहित उपस्थित है। प्रकरण में प्रार्थी/आहतगण को घटना के संबंध में आयी हुई चोटों का प्रकरण में संलग्न मुलाहिजा पत्रक से मिलान किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों का राजीनामा आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 09.09.2023 को भरा जाकर उभयपक्षों का हस्ताक्षर करवाया, तथा उभयपक्षों की पहचान श्री <u>श्रीलाल अरोड़ा</u> अधि० के द्वारा की गयी है। आरोपी/गण पर थाना.....<u>लानोरा</u>..... के द्वारा धारा <u>294, 323, 506 B</u>..... भा०द०वि० के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त धारा <u>323</u>..... भा०द०वि० का अपराध शमनीय प्रकृति का है एवं उपरोक्त धारा <u>294, 506 B</u>..... भा०द०वि० का अपराध न्यायालय की अनुमति से शमनीय प्रकृति का अपराध है। उभयपक्ष को उपरोक्त अपराध धारा के संबंध राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्षों के द्वारा राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में आज पूछे जाने पर उनके द्वारा बिना डर, दबाव, प्रलोभन के राजीनामा करना बताया गया है। अतः उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न किया गया है जिसका मिलान उपस्थित प्रार्थी/गण/आरोपी/गण से किया गया। प्रकरण में आरोपी/गण.....<u>सुरेश दास उर्फ मिन्दू</u>..... को भा०द०वि० की धारा <u>294, 323, 506 B</u>..... भा०द०वि० के अपराध में	7/7 अरोड़ा

Date of order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Party, Pleader where Necessar
	राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी/गण को जमानत मुचलका से उन्मुक्त किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं/ जप्तशुदा संपत्ति..... एक बांस का डंडा, सरई लकड़ी का डंडा, सरई लकड़ी का डंडा अपिल अवधी पर्यंत नष्ट किया जावे। अवार्ड की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्षों को निशुल्क प्रदान किया गया। प्रस्तुतकार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण समयावधि के भीतर रिकार्ड रूम जिला कोण्डागांव मे जमा करें प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। हस्ताक्षर  09/09/25 सदस्य (कु. अंजली सिंह) पीठासीन अधिकारी नेशनल लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक-01 केशकाल जिला कोण्डागांव छ.ग.	प्रति